HOME DEPARTMENT

The 8th August, 1985

No. 9338/C-2.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby transfers the local areas of village Ghirarsi from the local area of the existing Police Station Sadar Thanesar to the local area of Police Station Dhand, District Kurukshetra.

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Home Department.

POWER DEPARTMENT

The 9th August, 1985

No. 1/11/82-1 MT&P.—Consequent on placing the services of Shri D. Dasgupta, I.A.S. at the disposal of Power Department for appointment as Member Administration and Commercial in Haryana State Electricity Board in place of Shri M.G. Devasahayam, I.A.S., and therefore in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948, read with sub-section (4) (a) of section 5 of the said Act and rule 3 of the Punjab State Electricity Board Rules, 1959, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri D. Dasgupta, I.A.S., as Member, Administration and Commercial in the Haryana State Electricity Board with effect from 23rd July, 1985 (forenoon).

S. G. SUNDARAM,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Irrigation and Power Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 7 अगस्त, 1985

क्रमांक 921-ज(I)-85/23887.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री करतार सिंह, पुत्र श्री जोता सिंह, गांव जनसुहा, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला, को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 924-ज(I)-85/23892.—श्री हजारा सिंह, पुत्र श्री गुरबख्श सिंह, गांव घुराला, तहसील अम्बाला, जिला अम्बाला, की दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए)तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री हजारा सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3009-आर-(4)-67/3123, दिनांक 8 सितम्बर, 1967 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दयाल कौर के नाम खरीफ, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 8 अगस्त, 1985

क्रमांक 904-ज-2-85/24084.—श्री राम चन्द्र सिंह, पुत्र श्री सालिग सिंह, गांव खरक खुर्द, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 19 अप्रैल, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1)(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामचन्द्र सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2172-ज-II-73/26872, दिनांक 4 सितम्बर, 1973 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कपूरी के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।